

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 417/2011/अलवर

अपील संख्या 418/2011/अलवर

सहायक आयुक्त
विशेष वृत-प्रथम, भिवाडी, अलवर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स माउण्ट शिवालिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
गूती, बहरोड, अलवर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक
श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से


प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 31.07.2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत बी, भरतपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अलवर-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, भिवाडी (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा क्रमशः अपील संख्या 374/आरएसटी/2006-07/उपा/अपील्स/अल-11/ भिवाडी एवं अपील संख्या 17/आरएसटी/2009-10/उपा/अपील्स/अल-11/ भिवाडी में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 15.02.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। दोनों अपीलें एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित हैं तथा इनमें विवादित बिन्दु एक समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ दोनों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जायें।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी भारत में विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) का विनिर्माता है, जो राज्य में कर मुक्त है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 के मूल कर निर्धारण आदेश राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29 के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक 28.12.2001 एवं 14.01.2002 को पारित किये जाकर मांग सृजित की गई। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत आलोच्य अवधियों के पुनः कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 31.03.2005 एवं 30.08.2005 को पारित किये गये, जिनमें प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में घोषणा प्रपत्र 17 पर खरीद किये गये कच्चे माल रु. 93,89,163/- एवं 2,04,08,893/- पर 3 प्रतिशत की दर से कर चुकाये जाने के कारण राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.03.1994 के क्रम में उक्त खरीद पर एक प्रतिशत की दर से अन्तर कर, अधिभार एवं ब्याज निम्न तालिका के अनुसार आरोपित किया :-



अपील संख्या	कर	अधिभार	ब्याज	कुल मांग राशि
417 / 11	93892 / -	14,084 / -	1,23,633 / -	2,31,609 / -
418 / 11	2,04,089 / -	30,613 / -	2,12,405 / -	4,47,107 / -

प्रत्यर्थी व्यवहारी ने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तालिका के अनुसार सृजित की गई मांग आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत कीं, जिन पर विचार करते हुए अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किये गये कर, अधिभार एवं ब्याज को अपास्त कर अपीलें स्वीकार की हैं। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन क्रमशः आदेश 15.05.2010 एवं 15.02.2010 से पीडित होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से उपरोक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।


अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने घोषणा पत्र एस टी 17 के आधार 3 प्रतिशत की दर से कर चुकाकर कच्चा माल क्रय किया है जबकि उसके द्वारा क्रय किया गया माल 4 प्रतिशत से कर योग्य है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत आलोच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु नोटिस जारी किये। उनका कथन है कि नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधियों के एकरतफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2005 एवं 30.08.2005 पारित कर उपरोक्त तालिका के अनुसार अन्तर कर, अधिभार एवं ब्याज आरोपित किया है, जो पूर्णतः विधिक है। उन्होंने अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु विधिवत नोटिस तामील करवाये जाकर आदेश पारित किये गये हैं। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने सृजित मांग को इस आधार पर अपास्त किया है कि अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विशिष्ट नोटिस (specific Notice) जारी नहीं किये गये हैं, इसके अतिरिक्त उक्त आदेश व मांग पत्र प्रत्यर्थी व्यवहारी को दिनांक 30.12.2006 एवं 22.06.2006 को प्राप्त हुए हैं। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत विहित की गई अवधि के अन्दर ही नोटिस तामील कराये जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत पारित किये जाकर मांग सृजित की गई। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि 1999-2000 एवं 2000-2001 के मूल कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक 28.12.2001 एवं 14.01.2002 को पारित किये हैं तथा बिना कोई विशिष्ट नोटिस जारी किये गये अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत आलोच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 31.03.2005 एवं 30.08.2005 को पारित किये, जो प्रत्यर्थी व्यवहारी को दिनांक 30.12.2006 एवं 22.06.2006 को प्राप्त हुए हैं, इसलिए उक्त आदेश बिना विशिष्ट नोटिस जारी किये, पांच वर्ष की अवधि के पश्चात तामील होने के कारण कालातीत (Timebared) है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी के प्रकरणों के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर विचार करने के पश्चात विस्तृत आदेश पारित किये हैं, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। वर्तमान प्रकरण में आलोच्य अवधि 1999-2000 का मूल कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत दिनांक 28.12.2001 को पारित किया गया था। व्यवहारी द्वारा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा(आइएमएफएल) का विक्रेता है जो राज्य में कर मुक्त है। वक्त कर निर्धारण व्यवहारी ने खरीद रु. 9389163/- एवं 20408893/- की दर्शाई है। व्यवहारी को उक्त खरीद के सम्बन्ध में सूचना पत्र जारी किया गया कि आपने वक्त खरीद कच्चा माल माल में एस टी 17 पर प्रतिशत से कर चुका कर की है, जबकि आपको अधिसूचना दिनांक 7.3.1994 के अनुसार एस टी 17 पर कच्चा माल 4 प्रतिशत देय कर चुका करना चाहिए था। कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार उक्त सूचना पत्र कोई जवाब व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2005 एवं 30.08.2005 को आदेश पारित करके कर, सरचार्ज एवं ब्याज आरोपित कर रु. 231609/- एवं रु. 447107/- की मांग सृजित की।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया है कि कर, सरचार्ज एवं ब्याज तथा अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है इसलिए राजस्थान विक्रय कर नियमों, 1995 के नियम 48 की पालना नहीं की गई है, अतः आरोपित कर, सरचार्ज, ब्याज एवं शास्ति अविधिक है।


प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत आदेश पारित करने हेतु व्यवहारी को कोई जारी किया हुआ नोटिस उपलब्ध नहीं है और ना ही इसका उल्लेख आदेश पत्र में है। इसलिए नियम 47 की पालना किये गये कर निर्धारण



अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 31.3.2005 एवं 30.08.2005 पारित किये गये है। जबकि अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत आदेश पारित करने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी को **Specific Notice** नोटिस जारी करना चाहिए था, जो जारी नहीं किया गया है, इसलिए नोटिस के अभाव में अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.3.2005 एवं 30.08.2005 पूर्णतया अविधिक होने के कारण **Null & Void** है। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 31.3.2005 एवं 30.08.2005 को पारित किये गये आदेश एवं मांग पत्र प्रत्यर्थी व्यवहारी को दिनांक 30.12.2006 को प्राप्त हुआ है, जो पांच वर्ष की समयावधि के पश्चात तामील हुआ है इस आधार पर भी उक्त कर निर्धारण आदेश कालातीत होने से पूर्णतया अविधिक है। इन्हीं तथ्यों का विवेचन करते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन पृथक-पृथक आदेश दिनांक 15.2.2010 पारित किये है, जो पूर्णतया विधिक हैं।

प्रकरणों के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही कर, सरचार्ज एवं ब्याज तथा अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्तियों आरोपित करना अनुचित है एवं राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1995 के नियम 47 की अवहेलना है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन पृथक-पृथक आदेश दिनांक 15.02.2010 को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य